संख्या-44/2021/632/52-1-2021-पी0-22(एम0एस0डी0पी0)/2018

प्रेषक,

शिवाकान्त द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2021

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 144वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 21.03.2018 में पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0 (वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत जनपद-रामपुर के विभिन्न विकास खण्डों में स्वीकृत पेयजल आपूर्ति परियोजना हेतु केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की **द्वितीय किश्त** की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/427/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0 दिनांक 26.03.2011 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-17/2018/पी0-28//52-4-2018-पी0-22(एम0एस0डी0पी0) /2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उक्त योजना के निर्माण के लिए **उ0प्र0 जल निगम लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/427/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0 दिनांक 19.02.2021 द्वारा उक्त निर्माणाधीन योजनाओं हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 2611.33 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1305.665 लाख (रूपये तेरह करोड़ पांच लाख छाछठ हजार पांच सौ मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 1305.665 लाख (रूपये तेरह करोड़ पांच लाख छाछठ हजार पांच सौ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 2611.33 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख तैंतीस हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजट रू0 15000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(केन्द्रांश-50, राज्यांश-50) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के+रा0)	अवमुक्त हेतु अवशेष द्वितीय किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (के+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**रामपुर**	वि0ख0-बिलासपुर के महतोष में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	239.08	119.54	119.54	119.54	59.77	59.77	119.54
2	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के धावनी हसनपुर में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	306.08	153.04	153.04	153.04	76.52	76.52	153.04
3	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के पिपलिया गोपाल में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	298.14	149.07	149.07	149.07	74.535	74.535	149.07
4	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के खोंदलपुर में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	258.19	129.095	129.095	129.095	64.5475	64.5475	129.095
5	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के मुडियाखुर्द में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	173.19	86.595	86.595	86.595	43.2975	43.2975	86.595
6	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के अम्बरपुर में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	160.38	80.19	80.19	80.19	40.095	40.095	80.19
7	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के शिवनगर निकट रामनगर में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	199.61	99.805	99.805	99.805	49.9025	49.9025	99.805
8	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के मुल्लाखेड़ा में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	257.31	128.655	128.655	128.655	64.3275	64.3275	128.655
9	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के हजरतपुर में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	195.43	97.715	97.715	97.715	48.8575	48.8575	97.715
10	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के चकफेरी में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	208.00	104.00	104.00	104.00	52.00	52.00	104.00
11	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के पिपलिया मिश्र में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	160.27	80.135	80.135	80.135	40.0675	40.0675	80.135
12	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के खंण्डिया में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	160.99	80.495	80.495	80.495	40.2475	40.2475	80.495
13	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के डण्डिया नियामतगंज में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	212.54	106.27	106.27	106.27	53.135	53.135	106.27

http://shasanadesh.up.gov.in

14	**तदैव**	वि0ख0-बिलासपुर के लखीमपुर में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	162.05	81.025	81.025	81.025	40.5125	40.5125	81.025
15	**रामपुर**	वि0ख0-बिलासपुर के अलीपुर ठेका में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	190.87	95.435	95.435	95.435	47.7175	47.7175	95.435
16	**तदैव**	वि0ख0-सैदनगर के खंडिया में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	252.63	126.315	126.315	126.315	63.1575	63.1575	126.315
17	**तदैव**	वि0ख0-चमरौआ के कोयला में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	375.00	187.50	187.50	187.50	93.75	93.75	187.50
18	**तदैव**	वि0ख0-चमरौआ के नौगवां में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	255.75	127.875	127.875	127.875	63.9375	63.9375	127.875
19	**तदैव**	वि0ख0-चमरौआ के जुठिया में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	266.64	133.32	133.32	133.32	66.66	66.66	133.32
20	**तदैव**	वि0ख0-स्वार के मुकर्रमपुर में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	184.85	92.425	92.425	92.425	46.2125	46.2125	92.425
21	**तदैव**	वि0ख0-स्वार के देवीपुरा में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	218.25	109.125	109.125	109.125	54.5625	54.5625	109.125
22	**तदैव**	वि0ख0-शाहाबाद के बड़ागांव में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	227.77	113.885	113.885	113.885	56.9425	56.9425	113.885
23	**तदैव**	वि0ख0-शाहाबाद के हिम्मतपुर में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना	01	259.64	129.82	129.82	129.82	64.91	64.91	129.82
		योग		**5222.66**	**2611.33**	**2611.33**	**2611.33**	**1305.665**	**1305.665**	**2611.33**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 जल निगम लि0 लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत पेयजल के निर्माण का मानक वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के ग्राम्य विकास/पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित है।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी।

(8)- **धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।** उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 09.12.2020, 29.09.2020, 24.03.2020, 11.04.2020, 07.04.2020, 18.05.2020 एवं दिनांक 23.07.2019 तथा दिनांक 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10)- **लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।**

(11)- **कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।**

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्त्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- **प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।**

(17)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.04.2020 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार इस बात का ध्यान रख जाये कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(18)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जाय।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **"0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना-(के० 50 /रा० 50-के०+रा०)-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-12/2020/बी-1-706/दस-2020-231/2020, दिनांक 09.12.2020 के प्रस्तर-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-632(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत जल आपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 जल निगम लि0 लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **रामपुर**।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in